

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर लूणास

अनुवान कमलेश बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 265/2025

निर्णय दिनांक ...03.07.25...

कमलेश पत्नी राकेश पुत्री फूलाराम जाति जाट निवासी सेउवा तहसील राजगढ जिला चूरु

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

बनाम

प्रार्थनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अप्रार्थी

-::निर्णय::-

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर लूणास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 223 खसरा नं. 502/7 तादादी 4.8051 हैक्ट. खाता संख्या 180 खसरा नं. 4 तादादी 14.9085 हैक्ट., खसरा नं. 414/42 तादादी 2.7566 हैक्ट., खसरा नं. 5 तादादी 8.3583 हैक्ट., ख.नं. 981/39 तादादी 4.4763 हैक्ट., ख.नं. 982/40 तादादी 1.1381 हैक्ट. ख.नं. 984/40 तादादी 1.3530 हैक्ट., ख.नं. 985/489 तादादी 2.0106 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम भामरां में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थनी का नाम कमला पुत्री फूलाराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम कमलेश पत्नी राकेश पुत्री फूलाराम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थनी का नाम कमलेश पत्नी राकेश पुत्री फूलाराम किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम भामरां तहसील तारानगर के खाता संख्या 223 खसरा नं. 502/7 तादादी 4.8051 हैक्ट. खाता संख्या 180 खसरा नं. 4 तादादी 14.9085 हैक्ट., खसरा नं. 414/42 तादादी 2.7566 हैक्ट., खसरा नं. 5 तादादी 8.3583 हैक्ट., ख.नं. 981/39 तादादी 4.4763 हैक्ट., ख.नं. 982/40 तादादी 1.1381 हैक्ट. ख.नं. 984/40 तादादी 1.3530 हैक्ट., ख.नं. 985/489 तादादी 2.0106 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम कमला पुत्री फूलाराम Delete कर इसके स्थान पर कमलेश पत्नी राकेश पुत्री फूलाराम जाति जाट निवासी सेउवा तहसील राजगढ जिला चूरु अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...03.07.25 को कैम्प कोर्ट लूणास में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)